

FORM III

फर्द अहकाम

(नियम - 26)

अज अदालत उपखण्ड अधिकारी, मुकाम नीमकाथाना (राज.)

जयप्रकाश

बनाम

गिरधारी वर्गौ0


दमा दावा बाबत विभाजन एवं स्थाई निषेधाज्ञा

मु0नं0 305 सन् 2025 जीसीएमएस नं. 2025/642

हुकम या कार्यवाही मय इनीशियल्स जज

नम्बर व तारीख  
अहकाम जो इस हुकम  
की तामील  
में जारी हुए

रिपोर्ट सरिस्ता होकर पत्रावली पेश हुई। वादी की ओर से श्री नवीन कुमार यादव एडवोकेट उपस्थित। दावा दर्ज रजिस्टर किया जावे। प्रतिवादीगण की तलबी जरिये सम्मन की जाकर पत्रावली दिनांक 7.8.25 को पेश हो।

  
राजवीर सिंह यादव  
उपखण्ड अधिकारी  
नीमकाथाना (सीकर)

7/8/25-

पत्रावली पेश हुई। क्वील वादी अनुपस्थित। बार-बार  
आवाज लगवाने के उपरान्त भी वादी की ओर से कोई  
उपस्थित नहीं आया। अतः वादी का दावा अदम्य हाजरी व  
अदम्य पेशी में खारीज किया जाता है। पत्रावली फैसल  
शुमार होकर नम्बर से कम होकर दफ्तर दाखिल हो।

